

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प.26 (55) न्याय/2015 पार्ट iv

जयपुर, दिनांक 16.04.2024

आज्ञा

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) सं. 643/2015 All India Judges Association V/s UOI &Ors. में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 की पालना में न्यायिक अधिकारियों को अनुज्ञेय भत्तों/प्रतिपूर्ति का संदेय निम्न शीर्ष में किया जायेगा, अर्थात:-

● **Allowances/reimbursements to be charged on Salary head:**


1.Dearness allowance; 2.Hill area/ Tough Location allowance; 3.House rent allowance; 4.Petrol/Diesel Allowance; 5.Medical allowance; 6.Special Pay for Administrative work; 7.Sumptuary Allowance.

Reimbursement to be charged on Office Expenditure head:

1.Electricity charges; 2.Water Charges; 3.Robe allowance; 4.Transfer Grant; 5.Furniture Grant; 6.Grant for Air conditioner, 7.Transport allowance; 8.Home orderly allowance; 9.Newspaper & Magazine allowance; 10.Telephone Facility; and 11.Children Education allowance.


● यह आज्ञा वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 192400029 दिनांक 22.02.2024 पर प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में जारी की जाती है।

आज्ञा से


(जान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
- 2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
- 3 निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
- 8 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
- 9 वित्त (नियम/बजट/व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 11 रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 12 समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान ।
- 13 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. समस्त जिला कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 17 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
- 18 रक्षित पत्रावली।


(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव